

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग


क्रमांक प.18(36)नविदि/एन.ए.एच.पी./2014पार्ट

जयपुर, दिनांक : 11 APR 2018

आदेश


विभाग द्वारा दिनांक 03.04.2017 को जारी अधिसूचना के प्रावधान 3(ए) एवं 3(बी) की तालिका के बिन्दु संख्या 4 को विलोपित करते हुए मूल पॉलिसी के प्रावधान 3(ए) व 3 (बी) को निम्नानुसार रखा जाता है:-

Allotment by "Developer to the eligible beneficiaries/ or to other developers to fulfill the requirement as per provision 1 A of the Policy. For allotment of EWS/LIG category by developer, an advertisement for the allotment of EWS/LIG units is to be issued as per income criteria fixed as per Policy. Final list of allottees shall be submitted to concerned authority/ municipality/UIT with relevant documents. Developer would also be responsible to collect cost of unit from the allottees directly."


10/4/18
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।


10/4/18
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम